7

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

7

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10.09.2012

कमांक एफ 10–13 / 2012 / 16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर, सायकल सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित समाचार–पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार को सायकल प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) यह योजना असंगठित कर्मकार समाचार–पत्र बांटने वाले जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को समाचार–पत्र बांटने के लिए प्रदाय किया जावेगा।

(ii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त एक अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

----2

Type your

(8)

(ई) विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र० एफ 10–13/2012/16, रायपुर, दिनांक 10.09.2012

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर। वित्त विभाग की सहमति दिनांक 03.09.2012 अनुसार योजना अधिसूचित की गई।
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)
7. कलेक्टर, जिला .... (छ०ग०)
8. सचिव, छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ०ग०)
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ०ग०)
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग